

कार्यालय संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक गांधी
स्मारक चिकित्सालय रीवा म.प्र.

निविदा



2018–2019

श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा से सम्बद्ध गांधी स्मारक/संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय हेतु दवाईयां/सर्जिकल सामग्री/सूचर मटेरियल/डिस्पोजल सामग्री एवं आर्थोपेडिक्स इम्प्लांट का आवश्यकतानुसार स्थानीय क्रय

(लोकल पर्चेस)

हेतु ई-निविदा फार्म
(प्रथम आमंत्रण)

कीमत रू. 5000/-
(रूपये पाँच हजार मात्र)

निविदा क्रमांक- 29/2018-19

ONLINE TENDER SCHEDULE

ई-निविदा विज्ञापित क. 29/2018-19

SEQ NO	SCHEDULE	START DATE & TIME	EXPIRY DATE & TIME	ENVELOPES
1	PURCHASE OF TENDER ONLINE	11-04-2018 11-00 AM	28-04-2018 05-00 PM	ENVELOPE A, ENVELOPE B
2	BID SUBMISSION ONLINE	11-04-2018 11-00 AM	28-04-2018 05-00 PM	
3	PHYSICAL SUBMISSION OF BID DOCUMENT	11-04-2018 11-00 AM	1-05-2018 05-00 PM	ENVELOPE A, ENVELOPE B
4	MANDATORY SUBMISSION OPEN	02-05-2018 01-00 PM		ENVELOPE A
5	TECHNICAL PROPOSAL OPEN	02-05-2018 01-00 PM		ENVELOPE B
6	FINANCIAL BID OPEN	11-04-2018 11-00 AM	-	

अमानत राषि एवं चाहे गए दस्तावेजों की हार्ड कापी 01.05.2018 को सायंकाल 05.00 बजे तक स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक/स्वयं या अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित होकर कार्यालय संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा म.प्र. 486001 में जमा करें है। पोस्टल विलम्ब के लिए कार्यालय किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा।

ई-मेल:- jdsupdtgmhrewa@rediffmail.com, Fax-07662-242104

संपर्क:- 07662-242104, +91-9179705483, +91-9644695933 +91-8827730393

निविदा प्रस्तुत करने संबंधी सामान्य निर्देश:-

1. प्रत्येक निविदादाता को निविदा के रूप में 02 सीलड लिफाफे ए एवं बी एक बड़े आउटर लिफाफे सी में सीलड कर प्रस्तुत करने होंगे।

लिफाफा ए में रखे जाने वाले अनिवार्य दस्तावेजों की सूची:-

1. धरोहर राशि रूपये 2,00,000/-(दो लाख) का डिमाण्ड ड्राफ्ट जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय रीवा के नाम से हो संलग्न करना अनिवार्य होगा।

लिफाफा बी में रखे जाने वाले अनिवार्य दस्तावेजों की सूची:-

1. मूल निविदा प्रपत्र हस्ताक्षर एवं सील सहित।
2. फर्म/संस्था की स्थापना का प्रमाण पत्र।
3. वित्तीय वर्ष, 2015-16 एवं 16-17 (एसेसमेंट ईयर 16-17 एवं 17-18) का आयकर रिटर्न जमा करने की स्वयं द्वारा सत्यापित छायाप्रति)
4. नोटरी द्वारा सत्यापित किसी भी प्रकार का कर बकाया न होने का मूल शपथ-पत्र।
5. 100 रु. के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पर निर्धारित घोषणा पत्र (मूल प्रति)
6. पैन कार्ड की सत्यापित छायाप्रति।
7. वार्षिक टर्न ओवर संबंधी प्रमाण पत्र सी.ए. द्वारा जारी। (रु 50.00 लाख वार्षिक से कम नहीं होना चाहिये वर्ष 2016-17)
8. जीवित ड्रग लाइसेंस की छायाप्रति।
9. जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति।

श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा से सम्बद्ध गांधी स्मारक/संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय हेतु दवाईयां/सर्जिकल सामग्री/सूचर मटेरियल/डिस्पोजल सामग्री एवं आर्थोपेडिक्स इम्प्लांट का आवश्यकतानुसार स्थानीय क्रय (लोकल पर्चेस) हेतु ई-निविदा फार्म नियम एवं शर्तें

1. श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा से सम्बद्ध गांधी स्मारक /संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय हेतु दवाईयां/सर्जिकल सामग्री/सूचर मटेरियल/डिस्पोजल सामग्री एवं आर्थोपेडिक्स इम्प्लांट का आवश्यकतानुसार स्थानीय क्रय (लोकल पर्चेस) हेतु वर्ष 2018-19 के लिये ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र वेबसाइट <https://www.mpeproc.gov.in> पर आनलाईन भुगतान कर क्रय किये जा सकेंगे। इसे चिकित्सा महाविद्यालय रीवा की वेबसाइट <http://www.ssmcrewa.com> में भी देखा जा सकेगा।
2. आनलाईन निविदा जमा करने की निर्धारित अवधि के पश्चात प्राप्त निविदाएँ स्वीकार नहीं की जावेगी। आनलाईन निविदा फार्म क्रय करने का मूल्य रु. 5000.00(पांच हजार मात्र) निर्धारित हैं यह राशि किसी भी दशा में वापसी योग्य नहीं है।

3. निविदा के साथ अमानती राशि रूपये 2,00,000/- (दो लाख मात्र) का रिजर्व बैंक द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी वाणिज्यिक बैंक का डिमाण्ड ड्राफ्ट ही स्वीकार्य होगा, जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय रीवा के नाम से हो संलग्न करना अनिवार्य है। जिस निविदाकार का ठेका स्वीकार नहीं होगा उसकी अमानती राशि प्रथम निविदाकार के कार्य संचालन प्रारंभ करने के 45 दिवस बाद वापस की जावेगी। डिमाण्ड ड्राफ्ट पर निविदाकार को ब्याज देय नहीं होगा।
4. अधोहस्ताक्षरी को किसी भी एक निविदा/सभी निविदाओं को बिना कोई कारण बताये अस्वीकृत करने एवं चिकित्सालय हित में निविदा शर्तों में संशोधन करने का अधिकार होगा।
5. निविदा आनलाईन भरी जावेगी तथा निविदा की हार्डकापी पंजीकृत डाक, स्पीड पोस्ट, हाथों हाथ में से किसी भी एक माध्यम द्वारा निर्धारित तिथि एवं समय के भीतर इस कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकेगी। पोस्टल विलंब के लिये यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।
6. निविदा प्रपत्र की प्रविष्टियों में उपरिलेखन एवं काट-पीट वर्जित है।
7. निविदाकार का निविदा प्रपत्र एवं उसके साथ संलग्न कागजातों के प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर करना चाहिये।
8. आकस्मिक आवश्यकतानुसार लोकल पर्चेस की सुविधा 24 घण्टे उपलब्ध करवाना एवं चाही गई दवाईयां/सामग्री चिकित्सालय में पहुंचाना अनिवार्य है।
9. लोकल पर्चेस के लिये केवल स्थानीय दवा विक्रेता ही टेण्डर फार्म भर सकते हैं।
10. औषधि एवं अन्य सामग्री विलम्ब या आधी अधूरी प्रदाय करने की स्थिति में द्वितीय निविदाकार (एल-02) से क्रय कर जो राशि का अंतर होगा वह प्रथम निविदाकार की प्रतिभूति या देयक से काटा जावेगा।
11. दवाईयों को प्रदाय करते हुये इस बात का ध्यान रखा जावे की दवाईया उच्च क्वालिटी (WHO-GMP) की जेनरिक ही दी जावें।
12. सर्जिकल सामग्री/सूचर मटेरियल/डिस्पोजेबल सामग्री/आर्थोपेडिक्स इम्प्लांट ISO/CE प्रमाणित कंपनी की उच्च गुणवत्ता वाली होनी चाहिए।
13. निविदाकर्ता को फोन एवं मोबाइल पर सम्पर्क करने पर तत्काल औषधियां प्रदाय करना आवश्यक होगा।
14. दवाईयां/सर्जिकल सामग्री, सूचर, डिस्पोजेबल सामग्री, आर्थोपेडिक्स इम्प्लांट न्यूनतम एम.आर.पी. जो डी.पी.सी.ओ. दर से अधिक न हो की होना चाहिये तथा एम.आर.पी में किसी भी प्रकार की कांटछांट नहीं होनी चाहिए। टेम्प्रेचर सेंसिटिव प्रोडक्ट के लिये कोल्ड चैन मेन्टेन करना आवश्यक होगा। प्रदायगी के समय यदि डी.पी.सी.ओ. से अधिक की एम.आर.पी पाई जाती है तो अंतर की राशि प्रदायकर्ता से वसूली योग्य होगी।
15. निविदाकार के प्रतिनिधि को गांधी स्मारक चिकित्सालय में 24 घण्टे दवाई प्रदाय करने हेतु उपस्थिति होना आवश्यक है जिसका आईडेन्टीटी कार्ड गांधी स्मारक चिकित्सालय द्वारा दिया जावेगा। एल.पी. प्रदाय करने वाली फर्म के प्रतिनिधियों के पास हमेशा (24X7) मोबाइल चालू हालत में होना आवश्यक है।
16. अनुबंध करने के बाद कार्य प्रारम्भ नहीं करने की स्थिति में जमा प्रतिभूति राशि राजसात कर आदेश निरस्त करने का अधिकार संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक को रहेगा तथा कार्यादेश अन्य संस्था, द्वितीय निविदाकार (एल-02) को दिया जा सकेगा इस कारण होने वाली वित्तीय हानि को भी राजकीय हानि मानते हुये निरस्त निविदाकर्ता से वसूली की जावेगी।

17. आकस्मिक आवश्यकता पड़ने पर अधीक्षक/प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दूरभाष पर दिए गए निर्देश पर प्रदायगी करना अनिवार्य होगा।
18. किसी भी विवाद, व्यवधान अथवा लागू नियम व शर्तों को समझने में दुविधा की स्थिति में मित्रवत शालीन व्यवहार करते हुये संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक गांधी स्मारक चिकित्सालय से उनके कार्यालय में चर्चा कर समाधान निकालने का प्रयास करना होगा चर्चा उपरांत पहुंचे समाधान को निविदाकार को मान्य करना होगा।
19. निविदाकर्ता के कर्मचारी चिकित्सालय के अधिकारियों, कर्मचारियों, मरीजों एवं उनके परिजनो से शालीनता का व्यवहार करेंगे।
20. निविदाकार के स्टाफ के व्यवहार से यदि शासकीय कार्य में कोई बाधा उत्पन्न होती है तो उस स्टाफ को तत्काल बदलना होगा।
21. एम.आर.पी. (समस्त कर सहित) में जी.एस.टी. की राशि सम्मिलित होने के कारण अलग से जी.एस.टी. कर देय नहीं होगा। एम.आर.पी. में शामिल जी.एस.टी. की राशि बिल में पृथक से दर्शाना होगा।
22. निविदाकार को दवाईयों का मांगपत्र प्राप्त होने पर मांगपत्र के अनुसार दवाईयां /सामग्री प्रदाय कर वार्डों में भर्ती मरीज अथवा परिजन के हस्ताक्षर पूर्ण दवा प्राप्त करने के कराने होंगे साथ ही साथ उसका प्रमाणीकरण वार्ड में पदस्थ चिकित्सक, नर्स से कराना होगा। इसी प्रकार स्टोर को प्रदाय की जाने वाली दवाईयों का स्टोर कीपर से दवा प्राप्त करने का हस्ताक्षर कराना होगा तथा मांग की गई दवाईयों के अनुरूप दवाईयां देना होगा।
23. आर्थोपेडिक इम्प्लांट (IMPLANT) की सप्लार्ई सर्जरी करने वाले चिकित्सक के मांगपत्र अनुसार पूरा सेट रखना आवश्यक है। आपरेशन के बाद लगने वाले इम्प्लांट की साइज के अनुसार लगने वाले इम्प्लांट का बिल देना होगा। तथा शेष साइज के बचे हुये इम्प्लांट वापस लेना अनिवार्य होगा।
24. निविदा के साथ दुकान का वैध ड्रग लाइसेंस तथा आयकर रिटर्न वित्तीय वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 की छायाप्रति लगानी होगी। वार्षिक टर्न ओवर वर्ष 2016-17 पचास लाख (50 LAKH) से कम नहीं होना चाहिये इसके लिये सी.ए. द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
25. मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता चिकि.महा. रीवा के पास किसी भी निविदा को ग्रहय करने अथवा नहीं करने तथा साथ ही जनहित मे निविदा शर्तों मे परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
26. निविदाकार को निविदा प्रपत्र की समस्त शर्तें मंजूर करनी होगी। जिन्हें पालन करने के लिये वह वैधानिक रूप से बाध्य है।
27. इस निविदा मे स्वीकृत दरों से केवल उन्ही दवाईयां/सामग्रीयों का कय किया जावेगा जो एम.पी.एच. एच.सी.एल/स्थानीय कय (बल्क पर्चेस) की सूची मे उपलब्ध नहीं है और मरीजों के उपचार हेतु तात्कालिक रूप से आवश्यक है।
28. निविदा के सम्बन्ध में न्यायिक विवाद रीवा स्थित न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत होगा।

**संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक
गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा (म.प्र.)**

(निविदाकार अपने लेटरहेड में प्रस्तुत करें)

प्रति,

संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक
गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा

विषय:- श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा से सम्बद्ध गांधी स्मारक/संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय हेतु दवाईयां/सर्जिकल सामग्री/सूचर मटेरियल/डिस्पोजल सामग्री एवं आर्थोपेडिक्स इम्प्लांट का आवश्यकतानुसार स्थानीय क्रय (लोकल पर्चेस) हेतु निविदा बावत् ।

—0—

महोदय,

मेरे द्वारा श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा से सम्बद्ध गांधी स्मारक/संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय हेतु दवाईयां/सर्जिकल सामग्री/सूचर मटेरियल/डिस्पोजल सामग्री एवं आर्थोपेडिक्स इम्प्लांट का आवश्यकतानुसार स्थानीय क्रय (लोकल पर्चेस) हेतु निविदा फार्म में उल्लेखित सभी शर्तों को पढ़ एवं समझ लिया गया है मुझे सभी शर्तें स्वीकार हैं। अतः आनलाईन निविदा फार्म की हार्ड कापी कार्यालय में प्रस्तुत कर रहा हूं। मेरे फर्म के संबंध में जानकारी निम्नानुसार है।

1. निविदाकार का पूरा नाम
 2. निविदाकार फर्म का पंजीयन नं.
 4. पिता का नाम
 5. पत्राचार का पता
 6. स्थायी पता
 7. ई-मेल/फैक्स नं.
 8. बैंक का नाम/शाखा/खाता संख्या/आई.एफ.एस. कोड.....
-

हस्ताक्षर निविदाकार एवं पूर्ण पता

प्रपत्र – ए

(लिफाफे को सील बंद करें तथा लिफाफें पर प्रपत्र ए स्पष्ट उल्लेखित करें)

श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा से सम्बद्ध गांधी स्मारक/संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय हेतु दवाईयां/सर्जिकल सामग्री/सूचर मटेरियल/डिस्पोजल सामग्री एवं आर्थोपेडिक्स इम्प्लांट का आवश्यकतानुसार स्थानीय क्रय (लोकल पर्चेस) हेतु अर्नेस्ट मनी से संबंधित डी.डी. का विवरण

क्रमांक	डी.डी क्रमांक / दिनांक	बैंक का नाम	राशि	वैधता तिथि

निविदाकर्ता संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर.....
निविदाकर्ता संस्था प्रमुख का नाम

संस्था का नाम एवं पूर्ण पता एवं सील

तकनीकी बिड हेतु प्रपत्र:- बी

(पूर्ण रूप से भर कर एवं हस्ताक्षरित कर लिफाफे को सील बंद करें एवं लिफाफे पर प्रपत्र बी स्पष्ट रूप से उल्लेखित करें)
निविदाकार द्वारा तकनीकी बिड हेतु प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी

स. क्र.	तकनीकी मापदण्ड हेतु अनिवार्य दस्तावेज	निविदाकार के द्वारा टिक किया जावेँ । पृष्ठ क. दर्शायेँ		परीक्षण समिति द्वारा टिक किया जावेँ ।	
		हां	नही	हां	नही
1.	धरोहर राशि रूपये 2,00,000 /—(दो लाख) का डिमाण्ड ड्राफ्ट जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय रीवा के नाम से हो				
2.	मूल निविदा प्रपत्र हस्ताक्षर एवं सील सहित				
3.	फर्म/संस्था के स्थापना का प्रमाण पत्र				
4.	वित्तीय वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 (एसेसमेंट ईयर 16-17 एवं 17-18) का आयकर रिटर्न जमा करने की स्वयं द्वारा सत्यापित छायाप्रति)				
5.	नोटरी द्वारा सत्यापित किसी भी प्रकार का कर बकाया न होने का मूल शपथ-पत्र				
6.	100 रु. के नान-ज्यूडिशियल स्टाम्प पर निर्धारित घोषणा पत्र (मूल प्रति)				
7.	पैन कार्ड की सत्यापित छायाप्रति				
8.	वार्षिक टर्न ओवर संबंधी प्रमाण पत्र सी.ए. द्वारा जारी। (रु 50.00 लाख वार्षिक से कम नहीं होना चाहिये वर्ष 2016-17)				
9.	जीवित ड्रग लाइसेंस की छायाप्रति				
10.	जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन नं. की छायाप्रति।				

निविदाकर्ता संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर

निविदाकर्ता संस्था प्रमुख का नाम

(स्पष्ट अक्षरो)

संस्था का नाम एवं पूर्ण पता एवं सील

गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा म.प्र.

गांधी स्मारक चिकित्साल रीवा में दवाईयां/सर्जिकल सामग्री/सूचर मटेरियल/डिस्पोजल सामग्री एवं आर्थोपेडिक्स इम्प्लांट का स्थानीय क्रय (लोकल पर्वेस) हेतु निविदा वर्ष 2018-19

दर सूची (केवल आनलाइन भरी जावे)

फर्म का नाम :-.....

प्रोपराइटर/पार्टनर्स का नाम (निविदाकर्ता):-.....

पता :-.....

फोन नं :-.....मो.न.....

क्र.	विवरण	दर	
		अंको में	शब्दों में
1.	दवाईयां एम.आर.पी.से कम राषि		
2.	सर्जिकल सामग्री, रबर गुड्स एवं सूचर सामग्री एवं अन्य डिस्पोजेबल आयटम/अन्य डिस्पोजेबल आयटम एम.आर.पी.से कम राषि		
3	आर्थोपेडिक्स में लगने वाले इम्प्लांट एम.आर.पी.से कम राषि		
4	एन्टी कैंसर दवाईयां एम.आर.पी.से कम राषि		
5	पैथालॉजी/माइक्रोबायलॉजी विभाग में लगने वाले किट्स, केमिकल एम.आर.पी.से कम राषि में.		

नोट:- प्रदाय करते समय इस बात का ध्यान रखा जाये कि सभी दवाईयां/सर्जिकल सामग्री/सूचर मटेरियल/डिस्पोजल सामग्री एवं आर्थोपेडिक्स इम्प्लांट उच्च गुणवत्ता एवं डब्लू.एच.ओ. ,जी.एम.पी.,आई.एस.ओ./CE प्रमाण पत्र वाली निर्माता कंपनी की ही होना चाहियें तथा इसकी एम.आर.पी. , डी.पी.सी.ओ. दर से अधिक नहीं होना चाहिये।

दिनांक

हस्ताक्षर निविदाकर्ता

संस्था के निविदाकर्ता का नाम.....

पता.....

संस्था का नाम एवं पता.....

संस्था की सील.....

घोषणा पत्र (षपथ पत्र)

(100/- रूपये के नान-ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत किया जाये)

1. मैं/हम भारत का/के नागरिक हूँ/हैं।
2. मैं/हम भारतीय संविदा अधिनियम के अनुसार निविदा कार्य के लिए सक्षम हूँ/हैं।
3. मुझे/हमें म.प्र. शासन के किसी भी विभाग द्वारा निविदाकार्य से बहिष्कृत नहीं किया गया है।
4. मैं/हम किसी ऐसे कान्स्ट्रक्टर, जो कि म.प्र. शासन के किसी विभाग द्वारा बहिष्कृत किया गया हो, न तो अभिकर्ता हूँ/हैं और न ही उसके लिये कार्य करता हूँ/करते हैं।
5. मेरे/हमारे द्वारा निविदा की शर्तों के अलावा अन्य कोई शर्तें प्रस्तुत नहीं की गयी हैं। यदि अन्य कोई शर्तें प्रस्तुत की गयी हैं, तो उसे अमान्य माना जाये।
6. श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय/संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय/गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा के किसी अधिकारी/कर्मचारी से संबंध नहीं है।
7. मेरे/हमारे द्वारा इस निविदा में भरी मूल्य दर से कम मूल्य दर की निविदा मध्यप्रदेश राज्य के किसी संस्था या कार्यालय में प्रस्तुत नहीं की गई है।
8. हमारी संस्था के विरुद्ध सी.बी.आई0/लोकायुक्त/ई.ओ.डब्ल्यू/षासकीय कार्यालय इत्यादि में कोई जाचं लबित नहीं है और न ही सक्षम न्यायालय मे आपराधिक प्रकरण दर्ज है और न ही दण्डित किया गया है।
9. मेरे द्वारा प्रस्तुत जानकारी सही है। असत्य पाये जाने पर मेरे विरुद्ध विधिसम्मत कार्यवाही के किए जाने पर मैं स्वयं उत्तरदायी रहूंगा।

गवाह के हस्ताक्षर

निविदाकार के हस्ताक्षर

1. गवाह का नाम.....

संस्था के समक्ष अधिकारी का नाम..... पता.....

.....

पता.....

2. गवाह का नाम.....

संस्था का नाम एवं पता.....पता ...

.....

.....